

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक

/स्था/प्रनिबो/2015

भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) 1974 की धारा 12(2) में अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत मुख्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न बैंकों में जमा राशि के एफडीआर बनाये जाने एवं समय-समय पर उनके नवीनीकरण करने संबंधी अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों आदेश जारी होने के दिनांक से सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्यायोजित की जाती है ।

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में आदेश जारी होने के दिनांक से बोर्ड मुख्यालय की ओर से बैंकों में जमा राशि की एफडीआर बनाने एवं उसके आहरण संबंधी निर्णय सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से लिये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेशित

(निशा मिश्रा)
प्रशासकीय अधिकारी

पृ०क्रमांक ३२६८ /स्था/प्रनिबो/2015

भोपाल, दिनांक ०८-१२-१५

प्रतिलिपि :-

- 1 निज सचिव, अध्यक्ष, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
- 2 निज सचिव, सदस्य सचिव, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
- 3 शाखा प्रभारी, (वित्त) मुख्यालय म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 4 आईटी शाखा/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ति।

(निशा मिश्रा)
प्रशासकीय अधिकारी